(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110 002

No. F.3(79)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/ 56 Dated: 31/01/18

Notification No.71/2017– State Tax

F.3(79)/Fin(Rev-I)/2017-18/ - In exercise of the powers conferred by section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), and in supersession of Notification No.57/2017 – State Tax (issued in reference to GOI notification No. 57/2017 –Central Tax dated the 15th November, 2017), published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number No. F.3 (70)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/808, dated the 12th December, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, notifies the registered persons having aggregate turnover of upto 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, as the class of registered persons who may follow the special procedure as detailed below for furnishing the details of outward supply of goods or services or both.

2. The said persons may furnish the details of outward supply of goods or services or both in FORM GSTR-1 effected during the quarter as specified in column (2) of the Table below till the time period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

Table

Sl No.	Quarter for which the details in FORM GSTR-1 are furnished	Time period for furnishing the details in FORM GSTR-1
(1)	(2)	(3)
1	July - September, 2017	10thJanuary, 2018
2	October - December, 2017	15th February, 2018
3	January - March, 2018	30th April, 2018

3. The special procedure or extension of the time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 and sub-section (1) of section 39 of the Act, for the months of July, 2017 to March, 2018 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

4. This notification shall come into force with effect from the 29th day of December, 2017.

By order and in the name of the
Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi,

(A.K. Singh)
Dy. Secretary VI (Finance)

No. F.3(79)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/56 Dated: 31/01/18

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary (GAD), Government of NCT of Delhi in duplicate with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
2. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi
3. The Principal Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi
4. The Principal Secretary (Finance), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
5. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
7. The P.A. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
8. The Additional Secretary (Law), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
9. OSD to Chief Secretary, Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
10. Guard File.
11. Website

(A.K. Singh)
Dy. Secretary VI (Finance)

[दिल्ली राजपत्र, भाग 4, असाधारण में प्रकाशनार्थ]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

वित्त (राजस्व-1) विभाग

दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली - 110002

सं0फा0 03 (79) /वित्त/(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/ 56 दिनांक 31/01/18

अधिसूचना संख्या 71/ 2017 - राज्य कर

सं0फा0 03 (79) /वित्त/(राज0-1)/2017-18/- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर और दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, में सं0फा0 03(70) /वित्त(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/808, तारीख 12 दिसंबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 57/2017 - राज्य कर (जिसे केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना सं. 57/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 15 नवंबर, 2017 के सन्दर्भ में जारी किया गया था) को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पहले किया गया था या करने का लोप किया गया था ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को जिनका समग्र आवर्त पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपए तक है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रुप में अधिसूचित करते है, जो माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्ति के लिए ब्यौरों को प्रस्तुत करने के लिए नीचे दी गई विशेष प्रक्रिया का अनुसरण कर सकते हैं।

2. उक्त व्यक्ति माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्ति जो नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट तिमाही के दौरान उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट समयावधि तक की गई है, के ब्यौरे को प्ररुप जीएसटीआर-1 में प्रस्तुत कर सकते हैं, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	तिमाही, जिसके लिए प्ररुप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत किए जाते हैं	प्ररुप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत करने की समयावधि
(1)	(2)	(3)
1.	जुलाई-सितंबर, 2017	10 जनवरी, 2018
2.	अक्तूबर-दिसंबर, 2017	15 फरवरी, 2018
3.	जनवरी-मार्च, 2018	30 अप्रैल, 2018

3. अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) और धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 मास के लिए, यथास्थिति ब्यौरे या विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए विशेष प्रक्रिया या समय सीमा के विस्तार को तत्पचात् राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा ।

4. यह अधिसूचना दिनांक 29 दिसंबर, 2017 से प्रभावी होगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

(ए० के० सिंह)
उप-सचिव -VI (वित्त)

सं0फा0 03 (79) /वित्त/(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/ 56 दिनांक 31/01/18

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :-

1. प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग – चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ ।
2. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली ।
3. प्रधान सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली ।
4. प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली ।
5. आयुक्त, राज्य कर, व्यापार भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली ।
6. सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली ।
7. नि.स. नेता प्रतिपक्ष, 29, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली ।
8. अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली ।
9. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली ।
10. गार्ड फाइल ।
11. वेबसाइट ।

(ए० के० सिंह)
उप-सचिव -VI (वित्त)